न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–253 / 2018

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम ओम प्रकाश चौहान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1447 / गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा), दिनांक–30.09.2018 से प्राप्त सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड सं0–270 / 18 दिनांक 04.07.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन पिकअप रजि0 सं0–JH10BC-9445 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पुनः स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत किया गया, फिर भी वाहन स्वामी अनुपस्थित रहे। न्यायहित में एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन-है कि पुलिस बल संध्या गश्ती के क्रम में मब्बी ओवर ब्रिज NH-57 के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरपुर की ओर से एक पिकअप गाड़ी को आते देख पुलिस टार्च की रौशनी से रूकने का इशारा किया। परन्तु तेजी से भगाने लगा तब उक्त गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते हुए SH-75 मखनाही हाईस्कूल के पास ओभर टेक कर रूके। इसी बीच पिकअप गाड़ी के अज्ञात चालक गाड़ी को छोड़कर अंधेरा का लाभ उठाकर उत्तर दिशा में बगीचा की ओर भागा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया। परन्तु वह भागने में सफल रहा। स्थानीय ग्रामीण भी अज्ञात चालक को पकड़ने का प्रयास किया। उक्त पिकअप गाड़ी में ऊपर से पका हुआ कटहल लोड कर प्लास्टिक से ढ़का हुआ था। तत्पश्चात् पुलिस बल के सहयोग से उक्त पिकअप को थाना लाये तथा कटहल को अनलोड किया गया, तब देखा गया कि कटहल के नीचे 100 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल 375*ml* का कुल 2400 बोतल रॉयल स्टैग का शराब रखा था, जिसे विधिवत् बरामद शराब तथा पिकअप गाड़ी JH10BC-9445 के साथ जब्त किया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन पिकअप रजि0नं0–JH10BC-9445 से भारी मात्रा में कुल 2400 बोतल 375*ml* का बरामद हुआ है, पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का

चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया परन्तु वो उपस्थित नहीं हुए। पुनः स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत किया गया, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी वाहन स्वामी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड सं0–270/18 दिनांक 04.07.2018 में जब्त वाहन पिकअप निबंधन सं0–JH10BC-9445 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा